RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष २, अंक १४] **गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०१६/पौष १-७, शके १९३८** **[पृष्ठे ६६**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५, सन् २०१४.— महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०११. .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६, सन् २०१४.— महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१४. . .	९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७, सन् २०१४.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ . .	१०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८, सन् २०१४.— महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१४ . .	१३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३९, सन् २०१४.— महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१४ . .	१६
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०, सन् २०१४.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१४ . .	३९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१, सन् २०१४.— महाराष्ट्र विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, २०१४ . .	४०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२, सन् २०१४.— महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, २०१४ . .	५८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३, सन् २०१४.— महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१४. . .	६०

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2014.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (AMENDMENT) ACT, 2011.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक २८ अक्तूबर, २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५ सन् २०१४।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १७ नवंबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है ; सन् १९६६ का महा. ३७।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०११ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ५९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५९ की उप-धारा (१) के,— सन् १९६६ का महा. ३७।

(क) खण्ड (क) में, "विकास योजना" शब्दों के पश्चात्, "या किसी भूमि के संबंध में, जिस पर विकास किये जाने की संभावना है या पहले से ही उस पर निर्माण कार्य किया गया है" शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (दो) के बाद, निम्न उप-खण्ड निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

"(दो-क) निचला, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या पुनरुद्धार करना या भूमि को समतल करना ;

(दो-ख) नवीन पथ या सड़कें बिछाना, गलियों और सड़कों का संनिर्माण, पथान्तरण, विस्तार, परिवर्तन, सुधार करना तथा बन्द करना और संचार रोक देना ;

(दो-ग) भवन, पुल और अन्य संरचनाओं का संनिर्माण, परिवर्तन करना और हटाना ;

(दो-घ) खुले स्थान, उद्यान आमोद-प्रमोद मैदान, विद्यालय बाजार, हरित-पट्टा, दुग्धोद्योग, परिवहन सुविधाएँ और सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आबंटन या आरक्षण करना ;

(दो-ङ) जल-निकास, मलवहन प्रणाली से जोड़ना, भूपृष्ठ या अवमृदा जल-निकास तथा मल व्ययन करना ;

(दो-च) प्रकाश व्यवस्था करना ;

(दो-छ) जल-आपुर्ति करना ;

(दो-ज) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय हित या प्राकृतिक सौंदर्य की वस्तुओं और वास्तव में धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जानेवाले भवनों का परिरक्षण करना ;"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ६१ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६१ की,—

(क) उप-धारा (१) में, "बारह महीने" शब्दों के स्थान में, "नौ महीने" शब्द रखें जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में, "बारह महीने" शब्दों के स्थान में, "नौ महीने" शब्द रखें जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (३) में,—

(एक) "समय-समय पर" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(दो) "छह महीने" शब्दों के स्थान में, "तीन महीने" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ६४ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ६४ में, खण्ड (छ) के बाद, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-१) योजना के अधीन सम्मिलित कुल क्षेत्र में से भूमि का,—

(एक) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और निम्न आय वर्ग के सदस्यों के लिए और योजना में निवर्तित किये गयें व्यक्तियों के लिए गृहनिर्माण आवास का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए योजना के अधीन सम्मिलित कुल क्षेत्र के दस प्रतिशत तक के विस्तार तक की भूमि का आरक्षण ;

(दो) निम्न किन्हीं या समस्त प्रयोजनों के लिए कुल मिलाकर योजना में सम्मिलित कुल क्षेत्र के चालीस प्रतिशत तक की भूमि के विस्तार का आबंटन किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) सड़कों के लिए ;

(ख) उद्यान, खेल-कूद का मैदान, बगीचे और खुले स्थानों के लिए ;

(ग) विद्यालय, दवाखाना, अग्निशमन और सार्वजनिक उपयोगिता के स्थान जैसी सामाजिक मुलभूत सुविधाओं के लिए ;

(घ) विकास के स्वरूप पर आधारित निवासी, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए योजना प्राधिकरण द्वारा बिक्री के लिए :

परन्तु,—

(एक) इस खण्ड के उप-खण्ड (घ) में, निर्दिष्ट भूमि के विक्रय का आगम योजना के अधीन सम्मिलित क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के उपबंध के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जायेगा ;

(दो) इस खण्ड के उप-खण्ड (ख) में, निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आबंटित भूमि को, जिस प्रयोजन के लिए वह इस प्रकार आबंटित की गई है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए योजना का फेरफार करके परिवर्तित नहीं किया जायेगा ;

(तीन) इस खण्ड के उप-खण्ड (ग) में, निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, आबंटित भूमि का प्रारूप योजना के उपबंधों के आशय अप्रतिकूल किन्हीं सार्वजनिक प्रयोजन के लिए योजना में फेरफार किये बिना विकास करने के अनुमति दी जा सकेगी।"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ६८ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ६८ की, उप-धारा (२) में,—

(क) "छह महीने" शब्दों के स्थान में, "तीन महीने" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) "या राज्य सरकार विस्तारित करे ऐसे अन्य समय के बाद नहीं" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

सन् १९६६ का महा. ३७ में धारा ६८क की निविष्टि।

६. मूल अधिनियम की धारा ६८ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

प्रारूप योजना की मंजूरी का प्रभाव।

"६८क. (१) जहाँ, धारा ६८ की उप-धारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रारूप योजना मंजूर की जाती है (जिसे इसमें आगे इस धारा में, "मंजूर प्रारूप योजना" कहा गया है) वहाँ, धारा ५९ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो-ख), (दो-ङ), (दो-च) और (दो-ज) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त भूमि सास्त विल्लंगम से रहित समुचित प्राधिकरण में पूर्ण रूप से निहित होंगी।

(२) उप-धारा (१) की कोई भी बात, उस उप-धारा के अधीन समुचित प्राधिकरण में निहित भूमि के स्वामी के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(३) धारा ८९ और ९० के उपबंध **यथावश्यक परिवर्तन सहित** मंजूर प्रारूप योजना को उसी प्रकार लागू होंगे, मानों कि,—

(एक) मंजूर प्रारूप योजना प्रारंभिक योजना थी, और

(दो) धारा ८९ की उप-धारा (१) और ९० की उप-धारा (१) में, "वह दिन, जब अंतिम योजना प्रवृत्त हुई है" शब्दों के स्थान में, "वह दिन जब धारा ६८ की उप-धारा (२) के अधीन प्रारूप योजना मंजूर की गई है" शब्द, कोष्ठक तथा अंक रखे जायेंगे।"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ७२ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ७२ की, उप-धारा (३) और (४) के स्थान में, निम्न उप-धाराएं रखी जायेंगी, अर्थात्—

"(३) मध्यस्थ, विहित प्रक्रिया अपनाने के बाद, नगर आयोजन योजना को प्रारंभिक योजना और अंतिम योजना में उप-विभाजित करेगा। मध्यस्थ, अपनी नियुक्ति के दिनांक से नौ महीने की भीतर, प्रारंभिक योजना और यथा संभव अठारह महीने के भीतर अंतिम योजना तैयार करेगा :

परन्तु, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा उक्त अवधि ऐसी अधिकतर अवधि तक बढा सकेगी जो कुल मिलाकर तीन महीने से अधिक न हो और अवधि विस्तारित करनेवाला ऐसा कोई आदेश भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार बनाया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि, जहाँ महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०११ के प्रारम्भण के दिनांक को मध्यस्थ के समक्ष लंबित नगर आयोजन योजना पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन इस प्रकार विस्तारित की गई अवधि के भीतर प्रारंभिक योजना और अंतिम योजना में उप-विभाजित नहीं की गई है तो, राज्य सरकार, आदेश द्वारा और लिखित में अभिलिखित कारणों के लिए वह अवधि ऐसी अगली अवधि तक बढा सकेगी जो उक्त परन्तुक के अधीन इस प्रकार बढाई गई अवधि के अवसान के दिनांक से कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी और अवधि बढानेवाला ऐसा कोई आदेश भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार बनाया जायेगा। सन् २०१४ का महा. ३५।

(४) प्रारंभिक योजना में, मध्यस्थ,—

(एक) उसके द्वारा विहित रीत्या सूचना दिये जाने के बाद, सार्वजनिक प्रयोजन या योजना प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए आबंटित या आरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित, का सीमांकन और विनिश्चित करेगा और भू-खण्डों को सुनिश्चित भी करेगा ;

(दो) उसके द्वारा विहित रीत्या सूचना दिये जाने के बाद, उस व्यक्ति या व्यक्तियों का विनिश्चय करेगा जिन्हें सुनिश्चित भू-खण्ड आबंटित किये जाने है ; ऐसा भूखण्ड कब आबंटित किया जाना है ; और जब ऐसे भू-खण्ड सामान्यत: व्यक्तियों को स्वामित्व आधार पर आबंटित किये जानेवाले है तो ऐसे व्यक्ति का भाग सुनिश्चित करेगा ;

(तीन) मूल भू-खण्ड में सुनिश्चित भू-खण्ड़ के किसी अधिकार के संपूर्ण या आंशिक अन्तरण का उपबंध करेगा या धारा १०१ के उपबंधों के अनुसार मूल भू-खण्ड में किसी अधिकार के अन्तरण का उपबंध करेगा;

(चार) वह अवधि अवधारित करेगा जिसके भीतर योजना में उपबंधित कार्य समुचित प्राधिकरण द्वारा पूरे किये जायेंगे।

(५) मध्यस्थ, इसप्रकार तैयार की गई प्रारंभिक योजना राज्य सरकार को मंजुरी के लिए प्रस्तुत करेगा और उप-धारा (६) के उपबंधों के अनुसार अंतिम योजना भी तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(६) अंतिम योजना में, मध्यस्थ,—

(एक) धारा ६६ के अधीन देय प्रतिकर की रकम का प्राक्कलन करेगा ;

(दो) ऐसा अनुपात परिकालित करेगा जिसमें अंतिम योजना में सम्मिलित सुनिश्चित भू-खण्डों के संबंध में की वृद्धि धारा ९७ में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार योजना खर्च में अंशदान की दायी होगी।

(तीन) धारा ९७ की उप-धारा (१) के खण्ड (च) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, मूल भू-खण्ड के मूल्य और अंतिम योजना में सम्मिलित सुनिश्चित भू-खण्ड के मूल्यों का प्राक्कलन और उनके बीच का अन्तर नियत करेगा ;

(चार) किसी मूल भू-खण्ड के संबंध में जिसे योजना के अधीन संपूर्णत: अर्जित किया गया है, धारा ९७ की उप-धारा (१) के खण्ड (च) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, मूल भू-खण्ड के क्षेत्र की हानि के लिए देय प्रतिकर का प्राक्कलन करेगा ;

(पाँच) अंतिम योजना में सम्मिलित सुनिश्चित भू-खण्डों का मूल्य और धारा ९८ के उपबंधो के अनुसार, ऐसे भू-खण्डों के बारे में प्रोद्भूत होनेवाली वृद्धि प्राक्कलित करेगा ;

(छह) धारा १०० में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, किसी व्यक्ति में उद्ग्रणीय अंशदान में से कम की जानेवाली या, यथास्थिति, उसमें मिलायी जानेवाली रकम अवधारित करेगा ;

(सात) विहित रीत्या अपने द्वारा सूचना दिये जाने के बाद, अपने समक्ष किये गये दावों के प्रति निर्देश में धारा १०२ में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, किसी नगर आयोजन योजना बनाये जाने के कारण किसी सम्पति के स्वामी को या हानिकर रूप से प्रभावित अधिकार के लिये अदा किये जानेवाले प्रतिकर का प्राक्कलन करेगा।

(आठ) यह अवधारित करेंगा कि सार्वजनिक प्रयोजन या योजना प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए आबंटित या आरक्षित क्षेत्र योजना के क्षेत्र के भीतर के स्वामियों या निवासियों के लिए संपूर्ण या अंशत: हितप्रद है अथवा नहीं है ;

(नौ) सार्वजनिक प्रयोजन या योजना प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए उपयोग, आबंटित या आरक्षित किये जानेवाले प्रत्येक भू-खण्ड के प्रतिकर के रूप में देय रकम के अनुपात का प्राक्कलन करेगा जो योजना के क्षेत्र के भीतर के भागत: लाभार्थी स्वामियों या निवासियों के लिए आंशिक रूपसे और सामान्य जनता के लिए आंशिक रूप से हितप्रद है, जिसे योजना की लागत में सम्मिलित किया जायेगा ;

(दस) सार्वजनिक प्रयोजन या योजना प्राधिकारी के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त, आबंटित या आरक्षित ऐसे प्रत्येक भू-खण्ड पर उद्ग्रहीत किये जानेवाले अंशदान के अनुपात में अवधारा करेगा जो योजना क्षेत्र के भीतर के स्वामियों या निवासीयों के लिए और सामान्य जनता के लिए आंशिक रूप से हितप्रद है ;

(ग्यारह) ऐसे दिनांक को जब उप-धारा (७) के अधीन अन्तिम योजना तैयार की गई है अन्यन्यरूप से धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या अधिभोग किए गये भू-खण्डों या उनके भागों के बारे में अंशदान की अदायगी से अनुदत्त की जा सकनेवाली छूट की रकम यदि कोई हो, अवधारित करेगा ;

(बारह) अन्तिम योजना में सम्मिलित प्रत्येक सुनिश्चित भू-खण्ड पर अद्ग्रहणीय अंशदान परिकलित करेगा ;

(तेरह) जहाँ भू-खण्ड कब्जे के साथ बन्धक या पट्टे के अध्यधीन है तो एक और बन्धकधारी या पट्टेधारी द्वारा और दुसरी और बन्धककर्ता या पट्टाकर्ता को देय प्रतिकर या देय अंशदान के अनुपात का विनिश्चय करेगा ;

(७) मध्यस्थ, प्रारूप योजना के अनुसार विहित प्रारूप में प्रारम्भिक और अंतिम योजना बनायेगा :

परंतु,—

(क) वह प्रारूप योजना में परिवर्तन कर सकेगा ;

(ख) वह राज्य सरकार की पूर्व मंजुरी से योजना प्राधिकारी और किन्हीं ऐसे स्वामियों की सुनवाई के बाद, जो आपत्ति उठा सकते हैं प्रारूप योजना में सारभूत परिवर्तन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस परन्तुक के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "सारभूत परिवर्तन" का तात्पर्य, प्रारूप योजना की कुल लागत में, नवीन संकर्म के उपबंध या मध्यस्थ द्वारा बनायी गयी अंतिम योजना में सम्मिलित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त स्थानों के आरक्षण के कारण बीस प्रतिशत से अधिक या दो लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की वृद्धि से है।"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ७३ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ७३ में, "उप-धारा (३) के खंड (चार) से (ग्यारह) (दोनों को मिलाकर) और खंड (चौदह), (पंद्रह) और (सोलह)" शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान में, "उप-धारा (६) के खंड़ (एक), (दो), (चार), (पाँच) और खंड़ (सात) से (तेरह) (दोनों को मिलाकर)" शब्द, कोष्टक और अंक रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ७४ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा ७४ की, उप-धारा (१) में, "उप-धारा (३) के खंड (चार) से (ग्यारह) (दोनों को मिलाकर) और खंड (चौदह), (पंद्रह) और (सोलह)" शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान में, "उप-धारा (६) के खंड़ (एक), (दो), (चार), (पाँच) और खंड़ (सात) से (तेरह) (दोनों को मिलाकर)" शब्द, कोष्टक और अंक रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ८६ का प्रतिस्थापन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ८६ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

प्रारम्भिक या अंतिम योजना को राज्य सरकार की मंजुरी।

"**८६.** (१) प्रारम्भिक योजना या, यथास्थिति, अंतिम योजना की प्राप्ति पर, राज्य सरकार,—

(क) प्रारम्भिक योजना के मामले में, उसकी प्राप्ति के दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर, और

(ख) अन्तिम योजना के मामले में, उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, प्रारम्भिक योजना या अन्तिम योजना को मंजुरी दे सकेगा या ऐसी मंजुरी देने से इन्कार कर सकेगा, परन्तु किसी योजना को मंजूर करते समय, राज्य सरकार ऐसा उपांतरण कर सकेगी जो उसकी राय में किसी गलती, अनियमितता या अनौपचारिकता को सुधारने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

(२) जहाँ राज्य सरकार, प्रारम्भिक योजना या अंतिम योजना मंजूर करती है तो वह अधिसूचना में,—

(क) वह स्थान, जहाँ योजना लोक-निरीक्षणार्थ रखी जायेगी ; और

(ख) वह दिनांक (जो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक के बाद एक महीने से पहले का न हो) जब कि योजना द्वारा सृजित सभी दायित्व प्रभावी होंगे, उपवर्णित करेगी :

परन्तु, राज्य सरकार, समय-समय पर **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसा दिनांक ऐसी अवधि तक बढ़ा सकेगी जो एक बार में तीन महीने से अधिक न हो, जैसा वह उचित समझे।

(३) ऐसी अधिसूचना में नियत दिनांक को और के बाद, प्रारम्भिक योजना या, यथास्थिति, अन्तिम योजना उसी प्रकार प्रभावी होगी, मानों कि वह इस अधिनियम में अधिनियमित की गई थी।"।

११. मूल अधिनियम की धारा ८७ की उप-धारा (१) में, "अंतिम योजना" शब्दों के स्थान में, "प्रारम्भिक योजना" शब्द रखा जायेगा। सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ८७ में संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा ८८ में,— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ८८ में संशोधन।

(क) "अन्तिम योजना" शब्दों के स्थान में, "प्रारम्भिक योजना" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ग), अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) पार्श्व टिप्पणी में, "अन्तिम योजना" शब्दों के स्थान में, "प्रारम्भिक योजना" शब्द रखे जायेंगे।

१३. मूल अधिनियम की धारा ८९ की, उप-धारा (१) में, "अन्तिम योजना" शब्दों के स्थान में, दोनों स्थानों पर जहाँ कही वे आये हों, "प्रारम्भिक योजना" शब्द रखा जायेगा। सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ८९ में संशोधन।

१४. मूल अधिनियम की धारा ९० की,— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ९० में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, "अन्तिम योजना" शब्दों के स्थान में, "प्रारम्भिक योजना" शब्द रखे जायेंगे।

(ख) उप-धारा (३) के बाद, निम्न उप-धारायें जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

"(४) कोई भी व्यक्ति, उप-धारा (१) में, निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व शुरू किये गये भवन संनिर्माण या कार्य के संबंध को छोड़कर इस धारा के उपबंधों के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई किसी कार्यवाही के फलस्वरूप हुए किसी नुकसान, हानि या क्षति के संबंध में और केवल उस सीमा तक जहाँ तक उस दिनांक तक ऐसा भवन या कार्य अग्रसर हुआ है, किसी प्रतिकर के लिए हकदार नहीं होगा :

परन्तु, ऐसे किसी प्रतिकर का कोई दावा, जो इस उप-धारा द्वारा बाधित नहीं किया गया है, दावेदार और समुचित प्राधिकारी के बीच किये गये किसी करार की शर्तों के अध्यधीन होगा।

(५) इस धारा के उपबंध, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा हाथ में लिये गये किसी संनिर्माण प्रचालन को लागू नहीं होंगे।"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ९७ में संशोधन।

१५. मूल अधिनियम की धारा ९७ की, उप-धारा (१) में,—

(क) खंड (ख) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ख) उस अवधि के संदर्भ में जिस दौरान धारा ८६ के अधीन मंजुरी के बाद, प्रारम्भिक योजना कार्यान्वित की जानेवाली है, योजना प्राधिकारी द्वारा खर्च की गई या खर्च की जाने के लिये अनुमानित समस्त राशियाँ ;";

(ख) खण्ड (च) के बाद, निम्न खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

(छ) योजना क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में उपबंधित मूलभूत सूविधा की लागत की रकम का बीस प्रतिशत जो योजना के प्रयोजन के लिए आवश्यक और आनुषंगिक है।"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १०० में संशोधन।

१६. मूल अधिनियम की धारा १०० में, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु, किसी व्यक्ति से उद्ग्रहणीय अंशदान में से कटौती की जाने के लिए अर्हीत रकम के बदले में, योजना प्राधिकारी या मध्यस्थ ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर, पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप, उसके मूल भूखण्ड के क्षेत्र में घटाई के बराबर फर्शी क्षेत्र सूचकांक **(एफ एस आय)** या अन्तरणीय विकास अधिकार **(टी डी आर)** अनुदत्त कर सकेंगे।"।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2014.

THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ दिसंबर, २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव, तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES ACT, 2014.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २२ दिसंबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिये, ३१ जुलाई २०१४ को महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ प्रख्यापित किया गया था ;

सन् १९९४ का महा. ३५।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १६।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) यह ३१ जुलाई २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

सन् १९९४ का महा. ३५ की अनुसूची में संशोधन।

सन् १९९४ का महा. ३५।

२. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की, अनुसूची के भाग एक की प्रविष्टि २ के, स्तंभ (२) में, " पूना विश्वविद्यालय " शब्दों के स्थान में, " सावित्रीबाई फुले पूना विश्वविद्यालय " शब्द रखे जाएंगे।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १६ का निरसन और व्यावृत्ति।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १६।

३. (१) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना वा आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिती, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVII OF 2014.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (SECOND AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ दिसंबर २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव, तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVII OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २२ दिसंबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिये, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१४, २२ अगस्त, २०१४ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् १९६६ का महा. ४१। सन् २०१४ का महा. अध्या. १७।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाये।

(२) यह २२ अगस्त २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे " उक्त संहिता " कहा गया है) की धारा २ में, खण्ड (७) के पश्चात्, निम्न खण्ड़ निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :– सन् १९६६ का ४१।

" (७-क) 'डेटा बैंक' संबंधित अधिकारी के यहाँ जानकारी के भण्डार का रखरखाव किये जानेवाली, संबंधित विभाग के जिला प्रमुख द्वारा निश्चायक रूप से प्रमाणित और उसके द्वारा समय-समय पर अद्यतन की जानेवाली बैंक से है; जो, संहिता के अधीन अ-कृषक प्रयोजनों के लिये, भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान करते समय, कलक्टर द्वारा संबंधित विभाग की बाध्यता, यदि कोई हो, अभिनिश्चित करने के लिये, उपयोग में लायी जाती है ; "।

३. उक्त संहिता की धारा ४२ के पश्चात्, निम्नधारा, निविष्ट कि जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४२ क की निविष्टि।

"४२क (१) धारा ४२ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

सन् १९६६ का महा. ३७। विकास योजना द्वारा सम्मिलित क्षेत्र में स्थित भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिये कोई अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

(क) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों के अनुसार, बनाये गये और प्रकाशित किये गये मंजूर विकास योजना या विकास योजना प्रारुप में परिभाषित किये गये किन्हीं प्रयोजनों के लिये, अधिभोगी प्रवर्ग **एक** के रुप में, धारित किसी भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के लिये कलक्टर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ; तथापि, योजना प्राधिकरण, संबंधित राजस्व प्राधिकरण से भूमि का वर्ग, उसका अधिभोगी और विल्लंगम अभिनिश्चित करेगा, यदि कोई है, तत्पश्चात् और उसकी अधिनिश्चिति के पश्चात्, वह महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों के अनुसार विकास अनुमति प्रदान करेगा।;

सन् १९६६ का महा. ३७।

(ख) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों के अनुसार, बनाये गये और प्रकाशित किये गये मंजूर विकास योजना या विकास योजना प्रारुप में परिभाषित किये गये किन्हीं प्रयोजनों के लिये, अधिभोगी प्रवर्ग-**दो** के रूप में धारित भूमि या सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के लिये, अधिभोगी को भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए योजना प्राधिकरण को आवेदन करना होगा और योजना प्राधिकरण, उक्त अधिभोगी को ऐसे परिवर्तन के लिए कलक्टर द्वारा निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त करने के निदेश देगा और कलक्टर, दस्तावेजों जिनके द्वारा भूमि प्रदान की गई है और सुसंगत विधियों, जिनके द्वारा संबंधित भूमि शासित की जाती है, की जाँच करेगा और यदि निराक्षेप प्रमाणपत्र प्रदान करना अनुज्ञेय होगा तो आवेदक को उपयोग के परिवर्तन के लिये सरकार को **नजराना** और सरकारी देयता उस प्रयोजन के लिए अदा करना आवश्यक होगा और उसकी अदायगी पर, कलक्टर, ऐसे भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिये निराक्षेप प्रमाणपत्र जारी करेगा ; ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, संबंधित योजना प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों के अनुसार, विकास अनुमति जारी करेगा।

(दो) व्यक्ति, जिसे उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन अनुमति प्रदान की गई है या उप-धारा (१) के खण्ड (एक) की दृष्टि से, व्यक्ति जो भूमि के उपयोग में परिवर्तन करता है, तो वह ग्राम अधिकारी और तहसिलदार को लिखित में तीस दिनों के भीतर, उस दिनांक से जिस पर भूमि के उपयोग में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ है, सूचना देगा।

(तीन) यदि व्यक्ति, उप-धारा (२) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ग्राम अधिकारी और तहसिलदार को सूचना देने में असफल होता है तो, वह अ-कृषक निर्धारण के अतिरिक्त पच्चीस हजार रुपये या अकृषक निर्धारण के "चालीस गुना", जो भी अधिक हो, जुर्माना अदा करने का दायी होगा।

(४) (क) व्यक्ति जो विकास अनुमति प्राप्त करता है उससे लिखित में सूचना की प्राप्ति पर और धारा ४७क में उल्लिखित दर पर संपरिवर्तन और उसके लिए अ-कृषक निर्धारण की अदायगी पर, ऐसी सूचना की उसकी अदायगी से तीस दिनों की अवधि के भीतर, नियमों के अधीन विहित प्ररूप में उसे **सनद** मंजूर करने के लिए संबंधित राजस्व प्राधिकारी बाध्यकारी होगा। ऐसी **सनद** जारी करने में विलंब करने के मामले में संबंधित प्राधिकारी, उसके लिए उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

जहाँ वहाँ पर किसी आकस्मिक चूक या विलोपन से **सनद** में कोई लेखन संबंधी या गणितीय गलती उद्‌भूत होती है तो, संबंधित प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह या तो उसका स्वयं का प्रस्ताव या गलती द्वारा प्रभावित व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसी किसी गलती के सुधार हेतु किसी भी समय पर निदेश देगा।

(ख) उप-धारा (१) के खण्ड़ (ख) के अधीन भूमि के उपयोग के लिए निराक्षेप प्रमाणपत्र प्रदान करते समय या संहिता के अधीन अनुमति प्रदान करते समय कलक्टर, प्रदान करेगा और जिला स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये या प्रमाणित किया गये डाटा बँक का आधार लेकर निरापेक्ष प्रमाणपत्र या अनुमति प्रदान करेगा।

(ग) संबंधित विभाग के जिला प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समय-समय पर डाटा बँक को अद्यतन करें।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

४. (१) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार जैसा अवसर प्रोद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधों से असंगत कोई बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो। सन् १९६६ का ४१। सन् १९६६ का ४१।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

५. (१) महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १७।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन (प्रकाशित कोई अधिसूचना या आदेश समेत) कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत या की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १७ का निरसन और व्यावृत्ति।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVIII OF 2014.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ दिसंबर २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVIII OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २३ दिसंबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिये, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४, १९ जुलाई २०१४ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् २०१४ का महा. अध्या. १५।

सन् १९६६ का महा. ३७।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाए। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

(२) यह ४ अक्तूबर २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

सन् १९६६ का महा. ३७।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है), की धारा २६ की उप-धारा (१) के तृतीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :– सन् १९६६ की महा. ३७ की धारा २६ में संशोधन।

" परंतु यह भी कि, इस प्रकार विस्तारित की गई अवधि, किसी मामले में,–

(एक) नवीनतम जनगणना आँकडों के अनुसार, एक करोड या अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम के मामले में, कुल मिलाकर चौबीस महीने :

(दो) नवीनतम जनगणना आँकडो के अनुसार, दस लाख या अधिक किंतु, एक करोड से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के मामले में, कुल मिलाकर बारह महीने ; और

(तीन) किसी अन्य मामले में, कुल मिलाकर छह महीने से अधिक नहीं होगी। "।

सन् १९६६ की महा. ३७ की धारा ३० में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३० की उप-धारा (१) में, परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

परंतु, राज्य सरकार, योजना प्राधिकारी या उक्त अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर, लिखित में आदेश द्वारा और पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करके, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये ऐसी अतिरिक्त अवधि द्वारा उक्त अवधि, समय-समय पर बढ़ा सकेगी, किंतु, किसी मामले में,–

(एक) नवीनतम जनगणना आँकडों के अनुसार, एक करोड या अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम के मामले में, कुल मिलाकर चौबीस महीने :

(दो) नवीनतम जनगणना आँकडो के अनुसार, दस लाख या अधिक किंतु, एक करोड से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के मामले में, कुल मिलाकर बारह महीने ; और

(तीन) किसी अन्य मामले में, कुल मिलाकर छह महीने से अधिक नहीं होगी। "।

सन् १९६६ की महा. ३७ की धारा ३१ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३१ की, उप-धारा (१) में,—

(क) प्रथम परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

परंतु, राज्य सरकार, जैसा उचित समझे, चाहे उक्त अवधि अवसित हो या न हो **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा प्रारूप विकास योजना, मंजूरी के लिये अवधि समय-समय से विस्तारीत कर सकेगी या उसकी मंजूरी के अनुसार अस्वीकृत कर सकेगी, ऐसी अधिकतर अवधि,–

(एक) महाराष्ट्र महानगरीय योजना समिति (गठन और कृत्य) (उपबंधों का जारी रहना) अधिनियम, १९९९ के अधीन गठित महानगरीय योजना समिति की अधिकारिता में आनेवाली ऐसी विकास योजना के क्षेत्र के मामले में, कुल मिलाकर चौबीस महीने ; सन् २००० का महा. ५।

(दो) ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए "ऐसे किसी अन्य मामले में, कुल मिलाकर बारह माहीने, से अधिक नहीं होगी ;";

(ख) द्वितीय परंतुक के बाद, निम्न परंतुक जोडा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु यह भी कि, यदि सरकार प्रस्तुत मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जानेवाले प्रारूप विकास योजना के संबंधी उसके संपूर्ण क्षेत्र के लिए या अलग रूप से उसके किसी भाग के लिए या तो उपांतरण के बिना या ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन, जैसा वह उचित समझे उसका विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित नहीं करती है तो योजना प्राधिकारी या, यथास्थिति, उक्त अधिकारी को प्रारूप विकास योजना वापस नहीं करती है जो उसके निर्देशानुसार योजना को उपांतरित करने या मंजूरी के अनुसार इंकार करती होगी और ऐसी प्रारूप विकास योजना इस धारा की अवधि के भीतर योजना प्राधिकारी या उक्त अधिकारी को नवीन विकास योजना तैयार करने के निदेश नहीं देती है तो ऐसी प्रारूप विकास योजना को इस धारा के अधीन अवधि समाप्त होने की तुरंत आनेवाली दिनांक को धारा ३० के अधीन सरकार को यथाप्रस्तुत मंजूर की गयी समझी जाएगी।

परंतु, यह भी कि, धारा २६ के अधीन प्रकाशित प्रारूप विकास योजना के संबंध में जहाँ धारा ३० के अधीन योजना प्राधिकारी या, यथास्थिति, उक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई उपांतरण, सारभूत स्वरुप का है तो ऐसा उपांतरण, मंजूर किया गया नहीं समझा जाएगा और सरकार, सारभूत स्वरूप के ऐसे उपांतरणों के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगी और द्वितीय परंतुक में यथा अनुबद्ध सुजावों और आक्षेपों को प्राप्त करने के लिए **राजपत्र** में और दो स्थानिय समाचार पत्रों में सूचना के प्रकाशन के संबंधी उपबंध लागू होंगे। "।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १४८-क में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १४८-क में " किसी न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के कारण " शब्दें के पश्चात्, " किसी निर्वाचन के संबंध में, भारतीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, किसी आचारसंहिता के प्रवर्तन के कारण " शब्द निविष्ट किए जाएँगे।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १५।

सन् २०१४ का महा. अध्या. १५ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

६. (१) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश, द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIX OF 2014.

THE MAHARASHTRA (THIRD SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ दिसम्बर २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIX OF 2014.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2015.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३९, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २३ दिसम्बर २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१५ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१५ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि, विनियोग अधिनियम पारित करके ; और उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१४ कहलाए।

राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के लिये, ८२ अरब, ०१ करोड़, ८५ लाख, ४५ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में, विनिर्दिष्ट रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर बयासी अरब, एक करोड़, पचासी लाख, पैंतालीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट कार्यों तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं और प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी: विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		सामान्य प्रशासन विभाग			
ए-२	निर्वाचन।	२०१५, निर्वाचन।	८७,३१,६५,०००	....	८७,३१,६५,०००
ए-३	लोक सेवा आयोग।	२०५१, लोक सेवा आयोग ।	....	३,६२,४९,०००	३,६२,४९,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२२५२, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	४२,२८,७३,०००	....	४२,२८,७३,०००
ए-८	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	३०५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	२,८४,४६,००,०००	....	२,८४,४६,००,०००
		कुल–सामान्य प्रशासन विभाग	४,१४,०६,३८,०००	३,६२,४९,०००	४,१७,६८,८७,०००
		गृह विभाग			
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	९२,६०,१६,०००	....	९२,६०,१६,०००
बी-२	राज्य उत्पादन-शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पादन-शुल्क।	५,००,००,०००	....	५,००,००,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	१,१८,६७,०००	....	१,१८,६७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
बी-५	जेल।	२०५६, जेल।	१९,९९,३२,०००	....	१९,९९,३२,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ ।	३००१, भारतीय रेल-नीति-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठन। ३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।	१०,००,००,०००	....	१०,००,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	१,२८,७८,१५,०००	....	१,२८,७८,१५,०००
		राजस्व तथा वन विभाग			
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	९,५३,८८,०००	....	९,५३,८८,०००
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन।	२०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन।	१०,००,००,०००	....	१०,००,००,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोक निर्माण कार्य। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	१२,०७,९७,०००	....	१२,०७,९७,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	५,६१,०४,०००	....	५,६१,०४,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२०,१०,००,००,०००	....	२०,१०,००,००,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	१,१७,१६,८६,०००	....	१,१७,१६,८६,०००
		कुल–राजस्व तथा वन विभाग।	२१,६४,३९,७५,०००	....	२१,६४,३९,७५,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	६,२६,१९,१७,०००	....	६,२६,१९,१७,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	१५,२८,२०,०००	....	१५,२८,२०,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	२४०५, मत्स्य उद्योग।	३,७३,७०,०००	....	३,७३,७०,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	६,४५,२१,०७,०००	....	६,४५,२१,०७,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग

इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,०२,८७,९१,०००	....	२,०२,८७,९१,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	१७,९५,०२,०००	...	१७,९५,०२,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।	२,२०,८२,९३,०००	....	२,२०,८२,९३,०००

नगर विकास विभाग

एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगर विकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	१,६५,९७,००,०००	....	१,६५,९७,००,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	३८,००,००,०००	....	३८,००,००,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	४,१३,५०,०००	....	४,१३,५०,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	२,०८,१०,५०,०००	....	२,०८,१०,५०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		वित्त विभाग				
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण । २०४०, विक्रय कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	५,२७,३७,०००	. . . .	५,२७,३७,०००
जी-४	सचिवालय —सामान्य सेवाएँ। . .	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	. .	१,५०,००,०००	. . . .	१,५०,००,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन। . .	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	. .	२,०००	. . . .	२,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	५,५०,००,०००	. . . .	५,५०,००,०००
		कुल—वित्त विभाग।	. .	१२,२७,३९,०००	. . . .	१२,२७,३९,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	आवास। . .	२२१६, आवास।	. .	५०,००,२५,०००	. . . .	५०,००,२५,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१,३०,२७,१०,०००	. . . .	१,३०,२७,१०,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।		४५,६७,७७,०००	. . . .	४५,६७,७७,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	२,२५,९५,१२,०००	. . . .	२,२५,९५,१२,०००

जलस्रोत विभाग

आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान	. .	१,२१,७३,०४,०००	. . . .	१,२१,७३,०४,०००
		कुल–जलस्रोत विभाग।	. .	१,२१,७३,०४,०००	. . . .	१,२१,७३,०४,०००

विधि तथा न्याय विभाग

जे-१	न्याय प्रशासन।	. . २०१४, न्याय प्रशासन।	. .	३,६५,०३,६८,०००	३,९९,००,०००	३,६९,०२,६८,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय–सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	२२,८८,०००	. . . .	२२,८८,०००
		कुल–विधि तथा न्याय विभाग।	. .	३,६५,२६,५६,०००	३,९९,००,०००	३,६९,२५,५६,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	. .	५,००,०००	. . . .	५,००,०००
के-४	श्रम तथा नियोजन।	. . २२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	५०,९३,०००	. . . .	५०,९३,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	. .	५,००,०००	. . . .	५,००,०००
		कुल–उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	६०,९३,०००	. . . .	६०,९३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		ग्राम विकास तथा जलसंरक्षण विभाग				
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	३,१०,६०,५२,०००	. . . .	३,१०,६०,५२,०००
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २५५१, पहाड़ी क्षेत्र। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। ३०५४, सडक तथा पुल।	. .	१,१४,७८,००,०००	. . . .	१,१४,७८,००,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	७२,००,००,०००	. . . .	७२,००,००,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	४,९७,३८,५२,०००	. . . .	४,९७,३८,५२,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-२	खाद्य।	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	. .	३,१२,१७,०००	. . . .	३,१२,१७,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	९,६२,०३,०००	. . . .	९,६२,०३,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	१२,७४,२०,०००	. . . .	१२,७४,२०,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	५,६७,३३,५४,०००	. . . .	५,६७,३३,५४,०००
		कुल–सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	५,६७,३३,५४,०००	. . . .	५,६७,३३,५४,०००

योजना विभाग

ओ-३	ग्राम नियोजन। . .	२५०५, ग्राम नियोजन।	. .	२,२६,९१,७०,०००	६,००,००,०००	२,३२,९१,७०,०००
ओ-७	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ। . .	३४५१, सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,०१,३४,०००	. . . .	१,०१,३४,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी। . .	३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	. .	२७,१४,०००	. . . .	२७,१४,०००
ओ-१७	जिला योजना -रायगड़।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, गृहनिर्माण । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-२५	जिला योजना -नासिक।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, गृहनिर्माण । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-२८	जिला योजना -अहमदनगर ।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, गृहनिर्माण । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-३०	जिला योजना -औरंगाबाद।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, गृहनिर्माण । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-३९	जिला योजना -वर्धा।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, गृहनिर्माण । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-४१	जिला योजना -चंद्रपुर।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, गृहनिर्माण । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना -गड़चिरोली।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, गृहनिर्माण । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

			२४२५, सहकारिता।			
			२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
			२५०५, ग्राम नियोजन।			
			२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।			
			२७०२, लघु सिंचाई।			
			२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।			
			२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
			३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
			३०५४, सड़क तथा पुल।			
			३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।			
			३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।			
			३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
			३४५२, पर्यटन ।			
			३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			
			कुल–नियोजन विभाग।	. .	२,२८,२०,२५,०००	६,००,००,०००	२,३४,२०,२५,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग					
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. .	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	६,२३,७३,०८,०००	. . . .	६,२३,७३,०८,०००
आर-२	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	. .	२२५१, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
			कुल–लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	६,२३,७३,०९,०००	. . . .	६,२३,७३,०९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		जनजाति विकास विभाग				
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, गृहनिर्माण। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्यजीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन।	. .	४,२५,६४,२१,०००	. . . .	४,२५,६४,२१,०००
			कुल–जनजाति विकास विभाग। . .	४,२५,६४,२१,०००	. . . .	४,२५,६४,२१,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

वी-२	सहकारिता।	.	२२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	२०,२३,८१,०००	. . . .	२०,२३,८१,०००
			कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	२०,२३,८१,०००	. . . .	२०,२३,८१,०००

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	. .	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	८,७४,१९,०००	. . . .	८,७४,१९,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	. .	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	२२,३०,५८,०००	. . . .	२२,३०,५८,०००
		. .	२२०५, कला तथा संस्कृति।				
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।		२२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	८९,९२,०००	. . . .	८९,९२,०००
			कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	. .	३१,९४,६९,०००	. . . .	३१,९४,६९,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण।	. .	२२,९७,९१,०००	. . .	२२,९७,९१,०००
एक्स-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	१७,७३,०००	. . .	१७,७३,०००
			कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	२३,१५,६४,०००	. . .	२३,१५,६४,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. .	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. .	८,८१,६१,१०,०००	. . .	८,८१,६१,१०,०००
			कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	८,८१,६१,१०,०००	. . .	८,८१,६१,१०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
	पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग					
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	. .	१२,५१,४५,०००	. . .	१२,५१,४५,०००
		कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	१२,५१,४५,०००	. . .	१२,५१,४५,०००
	ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय					
	राजस्व तथा वन विभाग					
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।	. .	२४,०३,३७,०००	. . .	२४,०३,३७,०००
		कुल— राजस्व तथा वन विभाग।	. .	२४,०३,३७,०००	. . .	२४,०३,३७,०००
	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग					
डी-८	पशुपालन पर पूंजीगत व्यय।	४४०३, पशुपालन सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,५१,१०,०००	. . .	१,५१,१०,०००
डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत व्यय।	६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।	. .	९,००,००,०००	. . .	९,००,००,०००
		कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	१०,५१,१०,०००	. . .	१०,५१,१०,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग				
ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		१,००,००,०००	. . .	१,००,००,०००
		कुल— विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।	. .	१,००,००,०००	. . .	१,००,००,०००

नगर विकास विभाग

एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		१७,००,००,०००	. . .	१७,००,००,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	१७,००,००,०००	. . .	१७,००,००,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		८६,०७,०६,०००	. . .	८६,०७,०६,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यको के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२९,४६,७६,०००	२,२९,०००	२९,४९,०५,०००
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय। . .	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४,५०,००,०००	. . .	४,५०,००,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	१,२०,०३,८२,०००	२,२९,०००	१,२०,०६,११,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		जलस्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४,०००	. . . .	४,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	४,०००	. . . .	४,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-९	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५८, लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		५०,००,०००	. . . .	५०,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।	. .	५०,००,०००	. . . .	५०,००,०००
		योजना विभाग				
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	१,८३,४१,००,०००	. . . .	१,८३,४१,००,०००

ओ-२१	जिला योजना—सातारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३३	जिला योजना—नांदेड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
		कुल–नियोजन विभाग।	. .	१,८३,४१,०००	. . . .	१,८३,४१,०२,०००
		ख—पूंजी लेखे पर व्यय।	. .	३,५६,४९,३५,०००	२,२९,०००	३,५६,५१,६४,०००
		कुल योग।	. .	८१,८८,२१,६७,०००	१३,६३,७८,०००	८२,०१,८५,४५,०००

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XL OF 2014.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ दिसंबर २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XL OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २३ दिसंबर २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

सन् १९६१ का महा. २४।

क्योंकि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

(१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ग ख में संशोधन।

(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा ७३ ग ख की, उप-धारा (१५) में " ३१ दिसंबर २०१४ के पूर्व " शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान में, " ३० जून २०१५ के पूर्व " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे। सन् १९६१ का महा. २४।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLI OF 2014.

THE MAHARASHTRA APPROPRIATION (EXCESS EXPENDITURE) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ दिसंबर, २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेंद्र ग. भागवत,
प्रभारी प्रारुपकार-नि-सह सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLI OF 2014.

AN ACT TO PROVIDE FOR AUTHORISATION OF APPROPRIATION OF MONEY OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE TO MEET THE AMOUNTS SPENT ON CERTAIN SERVICES DURING THE FINANCIAL YEAR ENDED ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2009, IN EXCESS OF THE AMOUNT GRANTED FOR THOSE SERVICES AND FOR THAT YEAR.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २९ दिसंबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य की संचित निधि में से मार्च, २००९ के इकतीसवें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के उपबन्धार्थ अधिनियम।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, मार्च, २००९ के इकतीसवें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु, राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग अधिनियम को पारित करने का उपबंध करना आवश्यक है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

राज्य की संचित निधि में से वर्ष २००८-२००९ के लिए कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति के लिए ६ अरब, ९४ करोड़, १९ लाख, ५२ हजार, रुपये देना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकम, जो उसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकम, जो कुल मिलाकर छह अरब, चौरानबे करोड़, उन्नीस लाख, बावन हजार, रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट विविध कार्यों और उद्देश्यों के बारे में २००९ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए व्ययन हेतु, उस वित्तीय वर्ष के लिए उन कार्यों और उद्देश्यों के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकम की पूर्ति के लिए अदा की तथा लगायी गयी समझी जाएगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम के अधीन राज्य की संचित निधि और उसमें से अदा की जाने और लगायी जाने के लिए प्राधिकृत समझी जानेवाली रकमों की अनुसूची में अभिव्यक्त कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए मार्च, २००९ के इकतीसवें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में विनियोग किया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी (४) विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		गृह विभाग			
बी-५	जेल।	२०५६, जेल।	१,४१,८८,०००	....	१,४१,८८,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	३००१, भारतीय रेल–नीति निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संघठन। ३०५१, पत्तन और दीप गृह।	१,,०००	. . .	१,०००
		कुल—गृह विभाग।	१,४१,८९,०००	. . .	१,४१,८९,०००
		राजस्व तथा वन विभाग			
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	....	६,२३,०००	६,२३,०००
सी-२	स्टाम्प तथा पंजियन।	२०३०, स्टाम्प तथा पंजियन।	७,२१,६३,०००	....	७,२१,६३,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	७,२१,६३,०००	६,२३,०००	७,२७,८६,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग			
डी-१	ब्याज अदायगी।	२०४९, ब्याज अदायगी।	. . .	९३,९०,०००	९३,९०,०००
		कुल—कृषी, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. . .	९३,९०,०००	९३,९०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग				
इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	१,८२,९५,७८,०००	. . .	१,८२,९५,७८,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।		१,८२,९५,७८,०००	. . .	१,८२,९५,७८,०००
		वित्त विभाग				
जी-३	ब्याज अदागियाँ तथा ऋण सेवा।	२०४८, ऋणों में कमी करने या परिहार के लिए विनियोग। २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	३४,३८,८२,०००	३४,३८,८२,०००
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। . .	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	. .	१,३८,०६,३८,०००	. . .	१,३८,०६,३८,०००
		कुल—वित्त विभाग।	. .	१,३८,०६,३८,०००	३४,३८,८२,०००	१,७२,४५,२०,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	गृहनिर्माण। . .	२२१६, गृहनिर्माण।	. .	४५,८१,३४,०००	. . . .	४५,८१,३४,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	४३,९७,७४,०००	. . .	४३,९७,७४,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।		. . .	१,२५,३६,०००	१,२५,३६,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	८९,७९,०८,०००	१,२५,३६,०००	९१,०४,४४,०००

विधि तथा न्याय विभाग

जे-३	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।	. .	४३,०००	. . . .	४३,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	४३,०००	. . . .	४३,०००

ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग

एल-१	व्याज अदायगियाँ।	२०४९, व्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	५,४१,२५,०००	५,४१,२५,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. . .	१,०००	१,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	. . .	५,४१,२६,०००	५,४१,२६,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	३९,६५,०००	. . . .	३९,६५,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	३९,६५,०००	. . . .	३९,६५,०००

योजना विभाग

ओ-१३	जिला योजना - मुंबई शहर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१६. गृहनिर्माण। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	५,३१,०००	. . . .	५,३१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
		२२३६, पोषण। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३४३५, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन।		रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१४	जिला योजना - मुंबई उपनगर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१६. गृहनिर्माण। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५६, अन्तर्देशीय जल परिवहन। ३४३५, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण। ३४५२, पर्यटन।	. .	२,०५,४७,०००	. . . .	२,०५,४७,०००

२२०२, सामान्य शिक्षा।

२२०३, तकनीकी शिक्षा।

२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।

२२०५, कला तथा संस्कृति।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. . २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. .	४,६३,७९,०००	१,६४,०००	४,६५,४३,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग	. .	४,६३,७९,०००	१,६४,०००	४,६५,४३,०००
		पर्यावरण विभाग				
यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	. . २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . . .	५६,३९,०००	५६,३९,०००
		कुल—पर्यावरण विभाग।	. .	. . . .	५६,३९,०००	५६,३९,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२	सहकारिता।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४२५, सहकारिता। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। ३४५६, सिविल आपूर्ति।	. .	१५,०६,७२,०००	. . . .	१५,०६,७२,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१५,०६,७२,०००	. . . .	१५,०६,७२,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	३,८०,०००	. . .	३,८०,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	३,८०,०००	. . .	३,८०,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	४,४२,८७,४३,०००	४२,६३,६०,०००	४,८५,५१,०३,०००

ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय

नगर विकास विभाग

एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज।	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।	. .	४१,३३,०००	. . .	४१,३३,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	४१,३३,०००	. . .	४१,३३,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-११	क राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	. .	. . .	१,०१,८५,९४,०००	१,०१,८५,९४,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	. . .	१,०१,८५,९४,०००	१,०१,८५,९४,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-४	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।		६६,६९,९५,०००	. . .	६६,६९,९५,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	६६,६९,९५,०००	. . .	६६,६९,९५,०००

योजना विभाग

ओ-१७	जिला योजना–रत्नागिरी।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	३४,७२,०००	. . . .	३४,७२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१८	जिला योजना–सिंधुदुर्ग।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	२,८२,३०,०००	. . . .	२,८२,३०,०००
ओ-१९	जिला योजना–पुणे।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	५,५५,६०,०००	. . . .	५,५५,६०,०००

ओ-२०	जिला योजना–सतारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघउ उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	३,८७,०५,०००	. . . .	३,८७,०५,०००
ओ-२१	जिला योजना–सांगली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	५,६५,९३,०००	. . . .	५,६५,९३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२३	जिला योजना–कोल्हापूर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१,४९,५२,०००	....	१,४९,५२,०००
ओ-२५	जिला योजना–धुलियो।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१,२८,४५,०००	....	१,२८,४५,०००

४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३०	जिला योजना–जालना।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	७४,९२,०००	. . . .	७४,९२,०००
ओ-३१	जिला योजना–परभणी।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	५,५६,६८,०००	. . . .	५,५६,६८,०००

ओ-३३	जिला योजना–बीड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।	. .	६८,०५,०००	. . . .	६८,०५,०००
ओ-३४	जिला योजना–लातुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०३,४५,०००	. . . .	१,०३,४५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३५	जिला योजना–उस्मानाबाद।	४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,७९,३५,०००	. . . .	१,७९,३५,०००
ओ-३६	जिला योजना–हिंगोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,१७,०१,०००	. . . .	१,१७,०१,०००

ओ-३७	जिला योजना–नागपुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	२,४२,२२,०००	. . . .	२,४२,२२,०००
ओ-३९	जिला योजना–भंडारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,४७,८९,०००	. . . .	१,४७,८९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४१	जिला योजना–गड़चिरोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	४५,०७,०००	. . . .	४५,०७,०००
ओ-४२	जिला योजना–गोंदिया।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	३२,७६,०००	. . . .	३२,७६,०००

ओ-४४ जिला योजना–अकोला।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	५२,४३,०००	. . . .	५२,४३,०००
ओ-४७ जिला योजना–वासिम।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज। . .	. .	२,२३,४७,०००	. . . .	२,२३,४७,०००
	कुल—योजना विभाग।	. .	३९,७१,२७,०००	. . .	३९,७१,२७,०००
	कुल—ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय	. .	१,०६,८२,५५,०००	१,०१,८५,९४,०००	२,०८,६८,४९,०००
	कुलयोग।	. .	५,४९,६९,९८,०००	१,४४,४९,५४,०००	६,९४,१९,५२,०००

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLII OF 2014.

THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENTS DUTY (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ दिसंबर २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेंद्र ग. भागवत,
प्रभारी प्रारुपकार-नि-सह सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLII OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENTS DUTY ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २९ दिसंबर २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में, एतद् द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है, अर्थात् :— सन् १९२३ का १।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

सन् १९२३ का १ की धारा २ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा २ के, खण्ड़ (ख) में, छठे उपबंध के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९२३ का १।

"परन्तु यह भी कि, किसी अदायगी सेवा प्रभार के रूप में सत्वधारी द्वारा, स्वयं या उसके सेवा प्रबंधक के जरिये, यदि प्रति टिकट दस रुपयों से या राज्य सरकार, द्वारा **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, समय-समय से विनिर्दिष्ट की जानेवाली प्रभारित की गई है तो, उस मामले में, सभी मनोरंजनों के लिए ऑन लाईन टिकट बुकिंग के अलग प्रावधान के लिए सेवा प्रभार की ऐसी अदायगी उस सत्वधारी की और सेवा प्रबन्धक, शर्तों के अध्यधीन वह प्रति महिना बिक्री किये गये ऑन लाईन टिकट का डाटा प्रभारित ऑन लाईन इंटरनेट हॅन्डलिंग फीस या सुविधा प्रभार और ऑन लाईन टिकट बुकिंग सेवाओं के लिये प्रवेश के लिये अदायगी में शामिल नहीं किया जायेगा और प्रत्येक पूर्ववर्ती महीने के सात दिनों के पूर्व, कलक्टर को करार की प्रमाणित प्रतियाँ भी प्रस्तुत करेंगे और राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, समय-समय से विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी दस रुपयों से अधिक या ऐसी रकम से अधिक किसी प्ररुप में सेवा प्रभार की कोई रकम स्वयं या उसके सेवा प्रबन्धक के जरिए, सत्वधारी द्वारा उद्ग्रहित की जा सकेगी, ऐसी ऑन लाईन सेवाओं के प्रवेश के लिये, अदायगी में शामिल किया जायेगा "।

स्पष्टिकरण.—इस परंतुक के प्रयोजन के लिए, " सेवा प्रदान-कर्ता " अभिव्यक्ति, का तात्पर्य, किसी मनोरंजन के सत्वधारी द्वारा उनकी वेबसाईट या पोर्टल या किसी अन्य साधनों से ऑनलाईन टिकट आरक्षित करने के लिए जो कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या एजंट को प्राधिकृत या अनुज्ञप्त किया गया है उससे है और उसमें वह सम्मिलित होंगे।

कठिनाईयों का निराकरण।

सन् १९२३ का १।

३. (१) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन असंगत ऐसे आदेश बना सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए, आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLIII OF 2014.

THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS AND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २७ दिसंबर २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेंद्र ग. भागवत,
प्रभारी प्रारुपकार एवं सह सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLIII OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS AND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २९ दिसंबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में, अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९५९ का ३। सन् १९६६ का ३७।

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण ।

१. (एक) यह अधिनियम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(दो) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत कर सकेगी और इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के लिए, अलग-अलग दिनांक नियत किये जा सकेंगे।

अध्याय-दो

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५९ का ३ की धारा ५२ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें, आगे " ग्राम पंचायत अधिनियम " कहा गया है) की, धारा ५२ की,— सन् १९५९ का ३।

(क) उप-धाराएँ (१) और (२) के स्थान में निम्न उप धाराएँ, रखी जाएगी, अर्थात्–

सन् १९६६ का महा. ३७।

"(१) ग्राम में, जिसके लिए प्रारुप प्रादेशिक योजना या अंतिम प्रादेशिक योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों के अधीन प्रकाशित की गई है तो, कोई व्यक्ति,—

सन् १९६६ का महा. ३७।

(एक) महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता, १९६६ की धारा २ के खंड (१०) के अर्थान्तर्गत, ग्राम के **गावठाण** क्षेत्र में, विहित रित्या पंचायत की पूर्वानूमति प्राप्त किये बिना ;

(दो) ग्राम के अन्य क्षेत्र में, कलक्टर या तहसिलदार से अनिम्न श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी की जिसे कलक्टर की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या निर्माण या पुनर्निर्माण का प्रारम्भ नहीं करेगा ।

(१क) ग्राम में, जिसके लिए प्रारुप प्रादेशिक योजना या अंतिम प्रादेशिक योजना प्रारुप प्रकाशित नहीं किया गया है तो, कोई व्यक्ति, विहित रित्या पंचायत की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना, किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या निर्माण या पुनर्निर्माण का प्रारम्भ नहीं करेगा।

(२) उप-धारा (१) या, यथास्थिति, उप-धारा (१क) के अधीन, कोई अनुमति, इस प्रयोजन के लिये किये गये आवेदन पर, पंचायत द्वारा पंचायत समिति स्तर में तैनात राज्य सरकार के नगर योजना अधिकारी के पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् या किसी मामले में ऐसा अधिकारी पंचायत समिति स्तर पर तैनात नहीं किया गया है तो, जिला परिषद स्तर पर नगर योजना अधिकारी द्वारा दी जायोगी।

(२क) यदि, पंचायत अपनी अनुमति या उसके संबंध मे इंकार संसूचित करने के लिए असफल होती है तो ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के भीतर, या आवेदक से उत्तर की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के भीतर, आवश्यकताओं के संबंध में, यदि कोई हो, जो भी बाद की हो, पंचायत द्वारा दी जायेगी, ऐसी मंजुरी साठ दिनों की उक्त अवधि के अवसान के ठीक पश्चात्वर्ती दिन पर आवेदक को दी गई समझी जायेगी :

सन् १९६६ का महा. ३७।

परंतु, ऐसी अनुमति, उस शर्त के अध्यधीन, दी गई समझी जायेगी कि किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या निर्माण या पुनर्निर्माण का प्रारम्भ, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों या किन्हीं उप-विधियाँ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विरचित विनियमों के अनुसार सुसंगत विकास नियंत्रण विनियमों या, यथास्थिति, अंतिम प्रादेशिक योजना प्रारुप सख्त पुष्टीकरण में किया जायेगा :

परन्तु आगे यह कि, पूर्ववर्ती परन्तुक के उल्लंघन में, किसी भवन के किसी निर्माण या पुनर्निर्माण या निर्माण या पुनर्निर्माण के प्रारम्भण को अनधिकृत विकास समझा जायेगा।

(२ख) उप-धारा (१) या, यथास्थिति, (१क) के अधीन शर्तों पर अनुमति देने के या अनुमति से इंकार के आदेश द्वारा व्यथित कोई आवेदक उसके आदेश के संसूचना के दिनांक से चालीस दिनों के भीतर, जिला परिषद में तैनात नगर योजना विभाग के जिला प्रमुख को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अपील, ऐसे प्रारुप में होगी और जैसा कि विहित किया जाए ऐसी न्यायालय-फीस से होगी। ऐसा जिला प्रमुख, अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपील प्राप्ती के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, पारित आदेश द्वारा या बिनाशर्त जैसा वह उचित समझे ऐसी शर्तों के अध्यधीन, अपील को अनुमति दे सकेगा या अपील अस्वीकृत कर सकेगा। ऐसे अपील पर, जिला प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

(२ग) किसी न्यायनिर्णय आदेश या किसी न्यायालय की डिक्री में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१४, के प्रारम्भण के दिनांक को और प्रभाव से महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (ग्राम स्थलों का विस्तार) नियम, १९६७ निरसित होंगे। सन् २०१४ का महा. ४३।

(२घ) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१४ के प्रारम्भण के दिनांक को और प्रभाव से जब तक नियम इस धारा के अधीन बनाये नहीं जाते हैं तब तक महाराष्ट्र में प्रादेशिक योजनाओं के लिये मानकीकृत विकास नियंत्रण और प्रवर्तन विनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ की धारा २० की उप-धारा (४) के अधीन बनाये गये हैं जो भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति देने के संबंध मे लागू होंगे।"; सन् २०१४ का महा. ४३। सन् १९६६ का महा. ३७।

(ख) उप-धारा (३) में, "उप-धारा (१) या (२)" के शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान में, "उप-धारा (१), (१क), (२), (२क) या (२ख)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों को रखा जायेगा।

सन् १९५९ का ३ की धारा ५३ में संशोधन।

३. ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ५३ की, उप-धारा (१) में, "ग्राम की सीमाओं के भीतर" शब्दों के स्थान में, "ग्राम के **गावठाण** क्षेत्र की सीमाओं के भीतर" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९५९ का ३ की धारा १७६ में संशोधन।

४. ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा १७६ की, उप-धारा (२) में, खंड (बारह) के पश्चात्, निम्न खण्ड़ निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(बारह-१क) धारा ५२ की, उप-धारा (१) और (१क) के अधीन, विहित रीत्या जिसमें किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या निर्माण या पुनर्निर्माण का प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करने की उसकी उप-धारा (२ख) के अधीन, अपील का प्रारुप और अपील के साथ अदा की जानेवाली न्यायालय-फीस विहित करना ;"।

अध्याय-तीन

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में संशोधन।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा २ में संशोधन।

५. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे "प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम" कहा गया है), की धारा २ में,— सन् १९६६ का महा. ३७।

(क) खंड (५) के पश्चात्, निम्न खंड़ निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(५क) "प्रशमित संरचना" का तात्पर्य, ऐसी अनधिकृत संरचना के धारा १८ की उप-धारा (२ख) के उपबंधों के अधीन, यथा उद्ग्रहित संबंध में प्रशमित प्रभार ऐसी संरचना के स्वामी या अधिभोगी द्वारा अदा किया गया है और ऐसी अदायगी पर, कलक्टर द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

(ख) खंड (१३ग) के पश्चात्, निम्न खंड़ निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

(१३घ) "एकीकृत नगर-क्षेत्र योजना" का तात्पर्य, धारा १८ या, यथास्थिति, ४४ के अधीन घोषित एकीकृत नगरक्षेत्र परियोजना से है ;";

(ग) खंड (३०क) अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १४ में संशोधन।

६. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा १४ के खंड (ट) के पश्चात्, निम्न खण्ड़ जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(एक) इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए, फीसों का अधिरोपण, प्रभार और प्रिमियम, राज्य सरकार या योजना प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत किए जाए ऐसी दरों पर, सुसंगत विकास नियंत्रण विनियमों के अधीन, विवेकाधिकार शक्तियों के उपयोग के लिए अतिरिक्त फर्शी क्षेत्रफल सूचकांक या विशेष अनुमतियों की मंजुरी के लिए और भवनों के बारे में, अनुरक्षित की गई खुले

स्थान संबंधित शर्ते और निर्बंधन, प्लॉट के लिए भवन क्षेत्र का प्रतिशत, स्थान, आकार, ऊँचाई, मंजिलों की संख्या, संस्था और भवनों का स्वरूप और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से अनुमति दी गई जनसंख्या की सघनता, उपयोग और प्रयोजनों के लिए जिन भवनों या भूमि के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या उप-प्रभारीय प्लाटों को समुचित नहीं किया जा सकेगा और युक्तियुक्त कालावधियों के भूमि के किसी क्षेत्र के आक्षेपणीय उपयोगकर्ताओं को रोकने के लिए, पार्किंग स्थान, किसी भवन के लिए लदाई करना तथा खाली करना और विज्ञापन चिन्ह और होर्डिंग्स् और आवश्यक समझे जाए ऐसे अन्य मामलों समेत स्थानीय प्राधिकरण या कलक्टर की अधिकारिता के भीतर भूमि के उपयोग और विकास का नियंत्रण और विनियमन करने के लिए अनुमति प्रदान करने के उपबंध होंगे।"।

७. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा १८ में,— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १८ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(१) कोई भी व्यक्ति, प्रादेशिक योजना प्रारूप तैयारी या प्रादेशिक योजना प्रारूप अनुमोदित किए जाने की सूचना के प्रकाशन पर या के पश्चात् किसी भी भूमि प्रयोजन में, किसी भी उद्देश के लिए कृषि के अलावा, परिवर्तन या संक्षिप्त तथा किसी भी भूमि के संबंध में किसी भी विकास का निष्पादन पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा।

(एक) यदि भूमि नगर निगम या नगर परिषद या **नगर पंचायत** या विशेष योजना प्राधिकरण या किसी अन्य योजना प्राधिकरण की सीमा में स्थित हैं तो, ऐसी नगर निगम या नगर परिषद, **नगर पंचायत** या विशेष योजना प्राधिकरण या यथास्थिति, अन्य योजना प्राधिकरण किसी भूमि के मामले में, या

सन् १९६६ का महा. ४१।

(दो) यदि महाराष्ट्र भू-राज्यस्व संहिता, १९६६ की धारा (२) के, खण्ड़ (१०) के अर्थान्तर्गत, **गावठाण** में स्थित है, तो संबंधित ग्राम पंचायत भूमि के मामले में या ;

(तीन) यदि भूमि उपर्युक्त खण्ड़ (एक) तथा (दो) में उल्लिखित से अन्य क्षेत्रों में स्थित है तो इस मामले में, जिला कलक्टर की होगी :

परंतु, कलक्टर इस खंड़ के अधीन अपनी शक्तियाँ, तहसिलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्रत्योयोजित कर सकेगा।

सन् १९६६ का महा. ४१।

स्पष्टीकरण.—संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा २ के खण्ड़ (१०) के अर्थान्तर्गत राजस्व ग्राम के **गावठाण** क्षेत्रमें कलक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।";

(ख) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्रामपंचायत या, यथास्थिति, कलक्टर, अनुमति के लिए आवेदन के विचार-विमर्श में, इस अधिनियम के अधीन सूचना द्वारा प्रकाशित किसी प्रारुप या प्रादेशिक योजना या प्रस्तावों संबंधी समुचित विचार करेगा।";

(ग) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(२क) (एक) धारा ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७ और ५८ के उपबंध योजना प्राधिकरण के क्षेत्र में कार्यान्वित अनधिकृत विकास के लिए जैसे लागू होते है वैसे ही वह **यथावश्यक परिवर्तन सहित** प्रादेशिक योजना के क्षेत्र में कार्यान्वित अनधिकृत विकास के लिए लागू होंगे ; और

(दो) कलक्टर, ऐसे अनधिकृत विकास के संबंधी कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(२ख) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी, राज्य सरकार, कलक्टर द्वारा किये गये अनुरोध के अनुपालन पर निबन्धन और शर्ते विनिर्दिष्ट करेगी और अदायगी पर प्रशमन प्रभार जिसे कलक्टर प्रशमित संरचना के रूप में अनधिकृत संरचना घोषित कर सकेगा :

परंतु, यथा प्रशमित संरचना की अनधिकृत संरचना के रूप में घोषणा होने पर, तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन, ऐसी संरचना के विरुद्ध कलक्टर द्वारा शुरू की गई कार्यवाही समाप्त होगी और यदि ऐसी कार्यवाहियाँ अभी तक शुरू की जानेवाली है, तो कोई कार्यवाही अनुरक्षणीय नहीं रहेंगी :

परंतु, आगे यह कि, किसी प्रशमित संरचना में मरम्मत और रखरखाव से अन्य कोई अधिकतर संनिर्माण करने की अनुज्ञा नहीं होगी और ऐसी संरचना के किसी पुनर्विकास या पुनर्निर्माण प्रचलित विकास नियंत्रण विनियमों के उपबंधों के अनुसार केवल होगा।"।

(घ) उप-धारा (३) में, "एक विशेष नगरक्षेत्र परियोजना" शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हो, "एक एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा २० में संशोधन ।

८. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा २० की,—

(क) उप-धारा (२) में, "संतुलित विकास" शब्दों के स्थान मे, "विकास" शब्द रखा जायेगा ;

(ख) उप-धारा (४) में,—

(एक) "जैसा कि वह उचित समझे" शब्दों के पश्चात्, "या विनिश्चय अनुमोदन के अनुसार नहीं है" शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(दो) "अनुमोदित किया गया है" शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और "सूचना" शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

"संशोधन से या के बिना अनुमोदित किया गया है या, यथास्थिति, अनुमोदित नहीं किया गया है। किसी मामले में उपांतरण अनुमोदित किया गया है तब, ऐसी अधिसूचना में "।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३७ में संशोधन ।

९. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा ३७ की, उप-धारा (१) में,—

(क) "उसका ऐसा स्वरूप है कि ऐसी विकास योजना का स्वरूप बदला नहीं जायेगा" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) "मंजूरी के लिये राज्य सरकार को" शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

"**राजपत्र** में सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा उपांतरण प्रस्ताव, उपर्युक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उपांतरण प्रस्ताव रद्द हुआ समझा जायेगा :

परंतु, ऐसे रद्दकरण का नया प्रस्ताव करने से योजना प्राधिकरण को नहीं रोकेगा।"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३७क में संशोधन ।

१०. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा ३७क में,—

(क) "और धार्मिक कृत्य" शब्दों के स्थान में, "धार्मिक कृत्य और सार्वजनिक बैठक" शब्द रखें जायेंगे ;

(ख) "किसी मामले में कलैण्ड़र वर्ष में, कुल मिलाकर ३० दिनों से अधिक न हो" शब्द और अंकों के स्थान में, "किसी मामले में, कलैण्ड़र वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिनों से अधिक न हो " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"खेल मैदान के प्रयोजन के लिये, आरक्षित, अभिहित या आंबंटित भूमि के किसी प्लॉट का किसी विपत्ति या आपातकालीन प्रंबधन के लिये, जैसा कि हेलिपॅड या अन्य आवश्यक उपयोग के लिये अस्थायी उपयोग, उपयोगकर्ता के परिवर्तन के लिये किया गया समझा नहीं जायेगा।"।

११. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा ४४ की उप-धारा (२) में, "एक विशेष नगर क्षेत्र परियोजना" शब्द, दोनों स्थानों जहाँ कहीं वे आये हों शब्दों के स्थान में, "एक एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना" शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ४४ में संशोधन ।

१२. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा ४६ की स्थान में, निम्न परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ४६ में संशोधन ।

"परंतु, किसी क्षेत्र के लिए यदि विकास नियंत्रण विनियम जिस पर योजना प्राधिकरण नियुक्त या गठित किया गया है तो मंजूरी ली जानेवाली है तब, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अनुमति के लिए आवेदन के विचार-विमर्श में, ऐसा योजना प्राधिकरण प्रारूप या मंजूर प्रादेशिक योजना के उपबंधों का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा जब तक ऐसे क्षेत्र के लिए विकास नियंत्रण विनियम मंजूर किए गये हैं :

"परंतु आगे यह कि, यदि ऐसे क्षेत्र को प्रारुप या मंजूर प्रादेशिक योजना नहीं है तब सरकार द्वारा, **राजपत्र** में, अधिसूचना के जरिए विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे किसी योजना प्राधिकरण के अधीन क्षेत्र के लिए लागू विकास नियंत्रण विनियम, ऐसे क्षेत्र के लिए विकास नियंत्रण विनियम मंजूर होने तक लागू होंगे।"।

१३. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा १२४ ञ की उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १२४ञ में संशोधन ।

(३) उक्त निधि के लिए समय-समय से जमा की गई रकम, इस अधिनियम के अधीन किसी योजना या आयोजना में विनिर्दिष्ट किन्हीं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, केवल आरक्षित किसी भूमि के अर्जन और विकास के प्रयोजनों के लिए और उक्त प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाएँ मुहैया करने के लिए और उसके रखरखाव औऱ सुधार के लिए उपयोग किया जायेगा।"।

प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा १२४ ट के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जाएगी अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ३७ में धारा १२४ ट की निविष्टि करना ।

"१२४ ट-१. प्रारूप या अंतिम प्रादेशिक योजना में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा १२४ से १२४ट के उपबंध जहाँ धारा १८ की उप-धारा (१) के खण्ड़ (दो) या (तीन) के अधीन विकास को कार्यान्वित करने के लिए अनुमति आवश्यक है ऐसे मामलों में **यथावश्यक परिवर्तन सहित** लागू होंगे : कतिपय मामलों में धाराएँ १२४ क से १२४ ट के उपबंध भी लागू होंगें।

परंतु, इस धारा के अधीन संग्रहित विकास प्रभार, ग्रामपंचायत को जिसकी सीमा के भीतर, विकसित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि स्थित है, समुनदेशित की जाएगी। इस प्रकार संग्रहित और समनुदेशित की गई रकम, ग्राम पंचायत द्वारा आधारभूत सुख-सुविधाएँ और मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने या विकास करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग में लायी जाएगी।"।

१५. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा १५४ की उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— सन् १९६६ की महा. ३७ की धारा १५४ में संशोधन।

"(१) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकारी कार्यक्रमों, नीति या परियोजनाओं को कार्यान्वित या प्रभावी करने के लिए या इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन या व्यापक सार्वजनिक हित, मद में

समय-समय से आवश्यक समझें, ऐसे निदेशों या अनुदेशों को किसी प्रादेशिक बोर्ड़, योजना प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण और ऐसे निदेशों या अनुदेशों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर यदि कोई हो, ऐसे निदेशों या अनुदेशों को कार्यन्वित करना ऐसे प्राधिकरणों का कर्तव्य होगा।"।

सन् १९६६ की महा. ३७ की धारा १५६ में संशोधन।

१६. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा १५६ में, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, महाराष्ट्र **गुंठेवारी** विकास (नियमितीकरण, उन्नयन और नियंत्रण) अधिनियम, २००१ के उपबंधों के अनुसार, विकास जिसकी सम्यक् रुप से **गावठाण** के भीतर, संबंधित ग्रामपंचायत द्वारा दी गई अनुमति या समझी गई अनुमति या **गुंठेवारी** विकास जो नियमित किया गया है वह इस अधिनियम के अधीन यथा अनधिकृत नहीं माना जायेगा।"। सन् २००१ का महा. २७।

सन् १९६६ की महा. ३७ की धारा १५९ में संशोधन।

१७. प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम की धारा १५९ में, उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

(२) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के साथ राज्य में संपूर्णतः या भागतः केंद्र या राज्य सरकार की कोई आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम या नीति के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए विशेष विकास नियंत्रण विनियमों को बनाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसे विनियमों को बनाने के पूर्व उसका एक प्रारुप तैयार करेगी और **राजपत्र** में यह बताते हुए सूचना प्रकाशित करेगी कि विनियमों के प्रारुप तैयार किए गए हैं। सूचना में यह कहा जायेगा कि स्थानों के नाम जहाँ ऐसे प्रारुप विनियम की प्रतिलिपि उसमें उल्लिखित सभी युक्तियुक्त घंटो में जनता द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध की जायेगी और उसकी प्रतिलिपियाँ या उसमें का कोई उद्धरण सही रूप से प्रमाणित करके युक्तियुक्त किमतों में लोगों को विक्रय के लिये उपलब्ध किये जायेंगे ; और सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक के पूर्व प्रारुप विनियम के संबंध में, किसी व्यक्ति से आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित करेगी। यह सूचना जिनके लिए विनियम बनाए गए हैं और राज्य सरकार, जैसा उचित समझें ऐसी अन्य रीत्या उस क्षेत्र में व्यापक प्रचलन वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।

(४) उसके द्वारा प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार, ऐसे प्रारुप विनियम, यदि कोई हो, उपांतरणों या उपांतरणों के बिना जैसा वह उचित समझें, अनुमोदित कर सकेगी या उसे अनुमोदन न देने का विनिश्चय कर सकेगी और **राजपत्र** में अधिसूचना यह बताते हुए प्रकाशित करेगी कि विनियम उपांतरणों या उपांतरणों के बिना अनुमोदित किये गये हैं या, यथास्थिति, अनुमोदित नहीं किये गये है। किसी मामले में विनियमन अनुमोदित किये गये हैं तो अधिसूचना उसमें दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जिस पर विनियम प्रवृत्त होंगे।

(५) जहाँ विशेष विकास नियंत्रण विनियम किये गये हैं तो, ऐसे विनियमों के उपबंध, उस क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे जहाँ ऐसे विनियम लागू किए गए हैं और किसी योजना या आयोजना के उपबंधों को लागू करने तथा ऐसे क्षेत्र या उसके भाग में प्रवृत्त करने के लिए, उप-धारा (४) के अधीन ऐसे विनियमों के आगामी प्रवृत्त दिनांक के पूर्व, ऐसे विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों का विस्तार करने के लिए उपांतरित होंगे।"।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.